सं0स0–7 / यक्ष्मा–3- 01 / 2012– 67(7)9

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा।
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 18 -12–2012

विषय - मांग संख्या -20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0001 यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में कुल ₹ 1,85,91,977 / –(एक करोड पच्चासी लाख एकान्वे हजार नौ सौ सतहत्तर रू0) मात्र का आंशिक आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष / उपशीर्ष / विपत्र कोड में आवंटनादेश संख्या–18(7)ब दिनांक- 24.04.12, 27(7)ब दिनांक - 22.6.12, 44(7)ब दिनांक–19.9.12 एवं अन्य पत्र के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयो के लिए कुल ₹1,85,91,977 / (एक करोड पच्चासी लाख एकान्वे हजार नौ सौ सतहत्तर रू0) मात्र का आंशिक आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

3 सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2581 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक- 8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए ।

3 आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0001–यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न म उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा / अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर / संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना एवं सबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना होगे

5 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई या दूसरे इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसर उपशीर्ष मे, अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमे किसी भी तरह की शिथिलता वाछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी उत्तरदेही सबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

6 कई पदाधिकारियो / कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नही हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये है । माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामलो मे यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों / कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे

1 सबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी विधिवत रूप से पदस्थापित हैं ।

2 विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।

3 जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक / निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटन आदेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7 यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति क्रम के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. कय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक 21.05.2002 एवं 375(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

10. आवंटित राशि से किए गए कय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करना, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण / मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश / परिपत्र का अक्षरश: अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

12 विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है

13 संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वी तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

14 इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 6710 पटना, दिनांक 18-12-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 मे बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	वाहन का ईधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	उप निदेशक(यक्ष्मा) का कार्यालय	1260000	642600	189000	8000	15120	15120	2129840	0	0	0	0	2129840	719/6 9 12
2	निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	3540000	1295400	381000	0	30480	30480	4277360	0	3000	100000	2000	4382360	131/31 12 12
3	अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर भोजपुर	990000	402900	118500	0	9480	9480	1330360	0	0	0	0	1330360	276/5 11 12
4	अपर मुख्य चि0पदा0,पूर्णिया	640000	326400	96000	0	7680	7680	1077760	0	0	0	0	1077760	344/2 11 12
5	अपर मुख्य चि0पदा0,मधुबनी	1170000	596700	175500	0	14040	14040	1970280	0	0	0	0	1970280	231/22 8 12
6	अपर मुख्य चि0पदा0,जहानाबाद	1060000	540600	159000	0	12720	12720	1785040	0	0	0	0	1785040	198/18 9.12
7	अपर मुख्य चि0पदा0,बेगुसराय	440000	224400	66000	0	5280	5280	740960	0	0	0	0	740960	250/5 11 12
8	अपर मुख्य चि0पदा0,मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	332193	0	0	0	332193	2677/22 8.12
9	अपर मुख्य चि0पदा0,भागलपुर	2270000	1157700	340500	0	27240	27240	3822680	0	0	0	0	3822680	567/1.11 12
10	अपर मुख्य चि0पदा0,अररिया	606000	309060	90900	0	7272	7272	1020504	0	0	0	0	1020504	731/10 11 12
	कुल	10776000	5495760	1616400	8000	129312	129312	18154784	332193	3000	100000	2000	18591977	

(एक करोड़ पचासी लाख एकन्वे हजार नौ सौ सतहत्तर) रू० मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

18-12-12.

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01-01)	208282000	182800000	10776000	193576000	14706000
2	जीवन यापन भत्ता (01-03)	114555000	93228000	5495760	98723760	15831240
3	मकान किराया भत्ता (01-04)	31242000	27420000	1616400	29036400	2205600
4	परिवहन भत्ता (01-05)	1689000	800000	8000	808000	881000
5	चिकित्सा भत्ता (01-06)	2585000	2193600	129312	2322912	262088
6	अन्य भत्ता (01-07)	2546000	2193600	129312	2322912	223088
	योग वेतन एवं भत्ते:-	360899000	308635200	18154784	326789984	34109016
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	932100	66218	332193	398411	533689
8	यात्रा व्यय (11-01)	800000	420000	0	420000	380000
9	कार्यालय व्यय (13-01)	400000	200000	0	200000	200000
10	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (13-02)	500000	295000	3000	298000	202000
11	दूरभाष (13-03)	200000	100000	0	100000	100000
12	विद्युत प्रभार (13-04)	5000000	2750000	100000	2850000	2150000
13	विधि प्रभार (13-05)	1000000	390000	0	390000	610000
14	वर्दी / पोषाक (13-06)	400000	197000	0	197000	203000
15	किराया महसूल एवं कर (14-01)	200000	80000	2000	82000	118000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	1200000	600000	0	600000	600000
17	दवा भंडार (21-02)	600000	200000	0	200000	400000
18	आहार / पथ्य (21-03)	600000	200000	0	200000	400000
19	लघु कार्य (27-01)	1000	0	0	0	1000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27-02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीन एवं उपस्कर (27-01)	600000	300000	0	300000	300000
	कुल योग:-	373333100	314433418	18591977	333025395	40307705

18/12/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

67(प)
18-12-12